Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JAN-FEB, 2021, VOL- 8/63

"स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

डॉ0दीवान सिंह राणा[1]

प्रो0सुनीता गोदियाल[2]

1. *अथिति प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), एस0 आर0 टी0 परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड।*
   E-Mail I.D.-rana.deewan2015@gmail.com
2- *विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), एस0 आर0 टी0 परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड।*

Paper Received On: 15 FEB 2021

Peer Reviewed On: 22 FEB 2021

Published On: 1 MAR 2021

Abstract

*मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते है। भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय और सामाजिक– आर्थिक स्थिति कुछ भी हों अर्थात जो अधिकार मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है उन्हे मानवाधिकार कहते हैं। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होते हैं। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण में सहायक सिद्ध हुये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना है। मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को जानने हेतु स्नातक स्तरीय छात्राओं को उनके शहरी एवं ग्रामीण परिवेश को आधार बनाया गया है। शोध विषय को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। शोध कार्य के अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल के बिरला परिसर तथा स्वामी रामतीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल में अध्ययनरत् 200 स्नातक स्तरीय छात्राओं (100 शहरी एवं 100 ग्रामीण) को स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया। आंकडों के संकलन के लिए डॉ0 विशाल सूद तथा डॉ आरती आनन्द द्वारा निर्मित एवं प्रमाणीकृत **"मानवाधिकार जागरुकता परीक्षण (2014)** का उपयोग किया गया। प्राप्त प्रदत्तों को एकत्र कर विश्लेषण के लिये विवरणात्मक तथा आनुमानित सांख्यिकीय प्रविधियों मध्यमान, मानक विचलन तथा t–परीक्षण आदि को प्रयोग में लाकर उनकी विवेचना के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुए की स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरुकता औसत रूप में है तथा उनके शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के आधार पर मानवाधिकार के तीनों क्षेत्रों /आयामों में सार्थक अन्तर पाया गया है।*

मुख्य शब्दावली :–*स्नातक स्तरीय छात्राऐं, शहरी एवं ग्रामीण तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता ।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

प्रस्तावनाः–

वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व के विकास में मानवाधिकारों की विचारधारा व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक रूप में है। मनुष्य संसार का सबसे विवकेशील एवं बुद्धिमान प्राणी है जिसको जन्म से ही कुछ ऐसे आधारभूत अधिकार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति की गरिमा, अस्तित्व तथा स्वतन्त्रता के अनुरूप हैं। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण में सहायक सिद्ध हुये हैं। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानवीय जीवन में व्यक्ति के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और संविधान द्वारा मानव को प्रदान किए गए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी तथा सांस्कृतिक विभिन्न अधिकारों के क्षेत्रों से सम्बन्धित है। भारत विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश है और एक सफल लोकतन्त्र के लिए जिस प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उसके लिए एक सभ्य एवं जागरुक समाज की आवश्यकता होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार एक ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण समस्या है। इसके संरक्षण एवं रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार शिक्षा प्रदान की जाए। जिससे वह अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का सही से पालन कर सके एवं लोगो को जागरूक कर सके।

वर्तमान में मानव अधिकारों का मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय है। अतः मानव अधिकारो के संरक्षण एवं संबर्धन हेतु **24 अक्टूबर 1945** को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा **10 दिसम्बर 1948** को **"सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा–पत्र"** को अंगीकृत किया गया। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) व उसके संशोधित स्वरुप 1992 में भी मानवाधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। यह हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आधारभूत् है।" मानवीय गरिमा के सम्पूर्ण विकास के साथ–साथ इसकी परिधि में दूसरों के अधिकारों के संरक्षण का भाव हमेशा विद्यमान रहा है।

समस्या की उत्पत्ति–

शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो किसी भी व्यक्ति को अन्याय और दुराचार के प्रति जागरूक और लडने के लिए प्रेरित करती है। अर्न्तराष्ट्रीय संस्थान जैसे यूनीसेफ आई0 एल0 ओ0 ने बच्चों की शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा छात्र एवं छात्राओं में सामाजिक चेतना तथा न्याय के गुण को आसानी से स्थापित किया जा सकता है परन्तु छात्राओं में मानवाधिकारों की शिक्षा के प्रति जागरूकता होना अन्यन्त आवश्यक है, जिससे उनके प्रति होने वाले अनुचित व्यवहारों और अत्याचारों को कम किया जा सके।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता से संबंधित साहित्य के अध्ययन उपरांत यह महसूस किया कि युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति कम जागरुक है जिस कारण सरकार द्वारा प्रदत्त अनेक क्षेत्रों से संबंधित सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और जिससे देश की प्रगति आर्थिक व्यवस्था और सामाजिकरण आदि प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब तक उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थी मानव अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि राष्ट्र अपने संविधान में लिखित सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाऐगा ।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन –

प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित पूर्व में कुछ शोध कार्य किये गये जो निम्नवत् है –**कौर, एस0 (2006)** ने माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थिओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" किया और पाया कि ग्रामीण छात्रों की तुलना में शहरी छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता अधिक है। **कटोच,एस0के0(2012)** ने "हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" किया और पाया कि पुरुष प्रशिक्षुओं की अपेक्षा महिला प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता कम है तथा शहरी माध्यमिक प्रशिक्षुओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता ग्रामीण माध्यमिक प्रशिक्षुओं से अधिक है। **दुबे, (2014)** ने "मानवाधिकारों का महिला जागरुकता के विषय में अध्ययन" किया और निष्कर्ष में पाया कि महिलाएं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निभाने के बाद भी अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है। **शशिकला, वी0 तथा फ्रांसिस्को, एस0 (2016)** ने "महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" किया और पाया की कला वर्ग के महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विज्ञान वर्ग के महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है। वर्तमान में मानव अधिकारों का मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय है। **राणा, डी0एस0 (2017)** ने "बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" किया और पाया की पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक है तथा कला वर्ग के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विज्ञान वर्ग के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से कम है। सभी सन्दर्भित शोध अध्ययनों से विदित होता है कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का कई परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन किया गया है। अतः इस शोध पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता को जानने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता की तुलना करना ।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
3. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ में तुलना करना ।

अध्ययन की परिकल्पनायें :–

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा पालन की समझ के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसन्धान कार्य विधि –इस शोध विषय के हेतु वर्णानात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है तथा न्यादर्श हेतु उत्तराखण्ड राज्य में स्थित हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल के दों परिसरों (बिरला परिसर, श्रीनगर गढ़वाल तथा स्वामी रामतीर्थ परिसर, बादशाहीथौल) टिहरी में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् 200 छात्राओं (100 शहरी एवं 100 ग्रामीण) का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया तथा ऑकडों के संकलन हेतु डॉ0 विशाल सूद तथा डॉ आरती आनन्द (2014) द्वारा निर्मित एवं प्रमाणीकृत "मानवाधिकार जागरुकता परीक्षण (HRAT) उपकरण का प्रयोग किया गया। प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा t–परीक्षण का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम –

तालिका संख्या –01

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरूकता की तुलना–

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मूल्य	सारणी में t- मूल्य	सार्थकता स्तर
शहरी छात्रायें	100	12.21	2.108	4.25	2.63	0.01 स्तर पर सार्थक
ग्रामीण छात्रायें	100	10.25	1.321			

स्वतन्त्रता अंश (df) – 198 पर

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

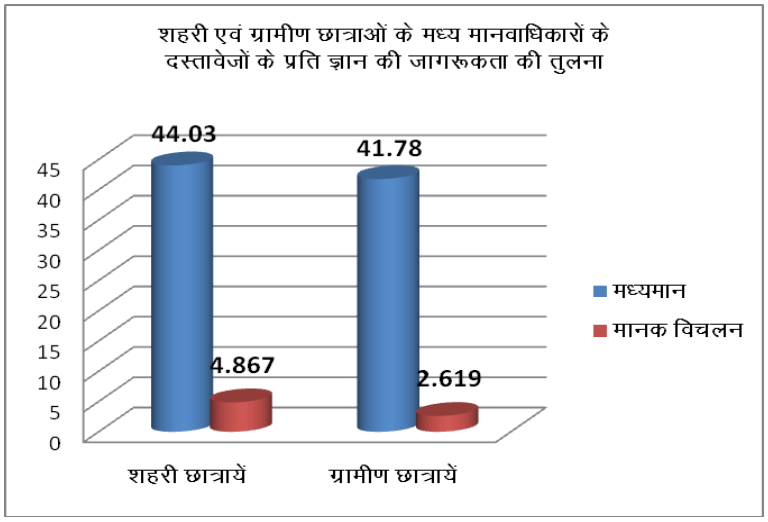

तलिका व ग्राफ– 01 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरुकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 12.21 व 2.108 है तथा स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरुकता का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 10.25 व 1.321 है। स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरुकता में तुलना हेतु **t-** परीक्षण की गणना की गई जिसके आधार पर t-मूल्य का मान 4.25 पाया गया जो सारणी में स्वतन्त्रता अंश 198 पर 0. 01 विश्वास स्तर पर निर्धारित t- मूल्य का मान 2.63 से अधिक है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया। यह इसलिये हो सकता है कि शहरी छात्राऐं मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जानकारी रखती है क्योंकि आये दिन– प्रतिदिन शहरों में बढती घटनाओं से अवगत रहती है जिस कारण वे अपने मानवाधिकारों के दस्तावेजों तथा हनन सम्बन्धी मामले में सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारिक रूप से स्वप्रेरित रहती हैं अर्थात् मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों एवं उपयोग सम्बन्धी क्रिया–कलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं जबकि ग्रामीण छात्राऐं अपने पारिवारिक कार्यो के उत्तरदायित्व के निर्वाहन में व्यस्त रहने के कारण मानवाधिकार के प्रति जागरुकता सम्बन्धी क्रिया–कलापों को महत्व नहीं देती हैं। जिस कारण वे मानवाधिकारों के दस्तावेजों तथा हनन सम्बन्धी मामले में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी नहीं ले पाती हैं। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या –01 ‘‘स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों के दस्तावेजों के प्रति ज्ञान की जागरुकता ’’ 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

तालिका संख्या – 2

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरूकता की तुलना–

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मूल्य	सारणी में t- मूल्य	सार्थकता स्तर
शहरी छात्रायें	100	22.83	3.117	3.718	2.63	0.01 स्तर पर सार्थक
ग्रामीण छात्रायें	100	20.97	2.047			

स्वतन्त्रता अंश (df) – 198 पर

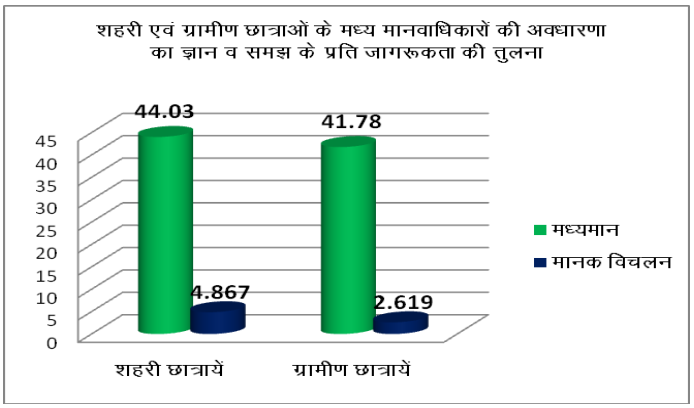

तालिका व ग्राफ –2 को देखने से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरुकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 22.83 व 3.117 है तथा स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरुकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 20.97 तथा 2.047 है। स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरूकता में तुलना हेतु **t**–परीक्षण की गणना की गई जिसके आधार पर **t**- मूल्य का मान 3.718 पाया गया जो सारणी में स्वतन्त्रता अंश 198 पर 0. 01 विश्वास स्तर पर निर्धारित **t**- मूल्य के मान 2.63 से अधिक है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या – 2 "स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति जागरूकता की तुलना" 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है। यह सम्भवतः इसलिये हैं क्योंकि शहरी छात्राऐं मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के विषय में जागरूक रहती है । वे शहरों में हो रही महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहारो, शोषण तथा घटनाओं के विषय में सोशल मीडिया,टी0वी0तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है जिस कारण वे मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझ के प्रति सक्रिय रहती है तथा शहरों में सरकार द्वारा समय–समय पर मानवाधिकारों के संरक्षण

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । जिस कारण वे मानवाधिकारों के ज्ञान व समझ के विषय में जानकारी ले पाती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन का अभाव रहता है। जिस कारण ग्रामीण छात्राऐं मानवाधिकारों के ज्ञान व समझ के विषय में जानकारी नही ले पाती हैं। अतः परिकल्पना संख्या – 02 "स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकारों मानवाधिकारों की अवधारणा का ज्ञान व समझकी जागरुकता " 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

तालिका संख्या – 3

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लघन व पालन की समझ की तुलना–

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	t-मूल्य	सारणी में t- मूल्य	सार्थकता स्तर
शहरी छात्रायें	100	44.03	4.867	3.006	2.63	0.01 स्तर पर सार्थक
ग्रामीण छात्रायें	100	41.78	2.619			

स्वतन्त्रता अंश (df) – 198 पर

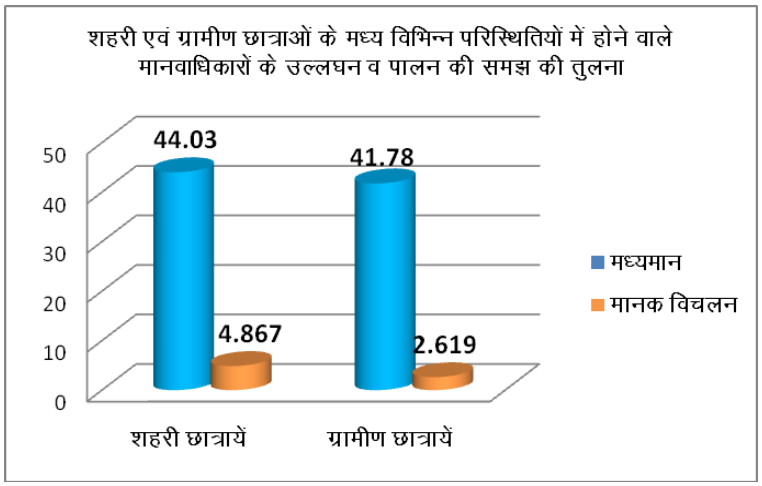

तालिका व ग्राफ संख्या–03 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ में जागरुकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमश 44.03 व 4.867 है तथा स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ में जागरुकता का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 41.78 तथा 2.619 है। स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

के उल्लंघन व पालन की समझ में जागरुकता में तुलना हेतु t–परीक्षण की गणना की गई जिसके आधार पर t- मूल्य का मान 3.006 पाया गया जो सारणी में स्वतन्त्रता अंश 198 पर 0.01 विश्वास स्तर पर निर्धारित t- मूल्य का मान 2.63 से अधिक है। अतः दोनों समूहों में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या –03 स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ में जागरुकता '' 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है। यह सम्भवतः इसलिये हैं क्योंकि शहरी परिवेश में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियॉ उत्पन्न होती है जिस कारण शहरी छात्राऐं उत्पन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिये या मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ के लिये अपने परिवार से विचार–विमर्श करते है तथा जरूरत पडने पर मानवाधिकार आयोग ,महिला आयोग एवं पुलिस की मदद लेते है तथा समय– समय पर सरकारी तथा गैर –सरकारी संस्थानों द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों एवं उपयोग सम्बन्धी सेमिनारों, वर्कशॉप में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं जिस कारण वे सक्रिय रहती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर –सरकारी संस्थानों द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों एवं उपयोग सम्बन्धी सेमिनारों, वर्कशॉप न होने पर ग्रामीण छात्राऐं विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ के सम्बन्ध में जानकारी नहीं ले पाती हैं। अतः शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना संख्या – 03 ''स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन व पालन की समझ में जागरुकता'' 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष–अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। निष्कर्षो से यह ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र की छात्राओं में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की अपेक्षा मानवाधिकार शिक्षा के तीनों क्षेत्रों में अधिक जागरूकता पायी गयी है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की जागरूकता औसत स्तर तक पायी गयी है, परन्तु समाज की वर्तमान परिस्थितियो और महिलाओं के अधिकारों के हनन तथा अत्याचारों को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह जागरूकता सिर्फ जानकारी तक ही सीमित है अर्थात सैद्धान्तिक हैं । इसे छात्रायें अपने सामान्य जीवन में उपयोग मे नहीं ला पाती है, या उनके उचित उपयोग की सही जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है।

सुझावः–

1. शिक्षा के द्वारा ही किसी देश और समाज को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है और किसी भी बात को सामान्य जनमानस तथा महिलाओं तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मानवाधिकार शिक्षा को विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मलित किया जाना आवश्यक है।

2. इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को समय–2 पर मानवाधिकारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे– सेमिनार, वर्कशॉप, सम्मेलनों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होकर स्वंय तथा समाज को जागरूक करें जिससे कि वे मानवाधिकारों के हनन सम्बन्धी मामले में स्वप्रेरित हो अर्थात अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।
3. वर्तमान समय में भी अज्ञानतावश और उचित शिक्षा के अभाव में महिलायें रूढियों की जजींरों में जकड़ी हुयी है और चाहकर भी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवाज नहीं उठा पाती है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के अधिकार को समझे अनपढ बेटियों को भी उचित शिक्षा दिलायें तभी पूरा लाभ उठाया जा सकता है और महिलाओं में जागरूकता लाकर सुधार लाया जा सकता है।
4. आज भारतीय समाज की सबसे गम्भीर समस्या यह है कि प्रत्येक को समान रूप से अधिकार कैसे मिले, विशेष रूप से महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सजग और जागरूक कैसे बनाया जाय जिससे समाज सन्तुलित रूप में उन्नति कर सके। इस गम्भीर समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य समझा जाये और मानवधिकार विषय को उच्च माध्यमिक स्तर एवं स्नातक पर अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाय। जिससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते है–छात्र–छात्राओं को मानवधिकारो का उचित तथा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा।
5. इसके अतिरिक्त समय–समय पर महिलाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने तथा जागरूक बनाने के लिए सेमिनार, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों तथा लघु नाटिकाओं के माध्यम से मानवाधिकार के हनन को रोकने के लिए कौन सी उचित कार्यवाही की जा सकती है, प्रदर्शित किया जा सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ–

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उच्च शिक्षा जगत में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के मध्य मानवाधिकार शिक्षा के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था तथा यह सुझाव देना था कि किस प्रकार से शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं को आने वाले समय के लिए मानवाधिकारों के प्रति सजग एवं जागरुक बनाया जाये जिससे कि वे उन्नति करके सन्तुलित समाज की स्थापना कर सके तथा साथ ही साथ उनकों समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को व्यवहारिक रुप में समझने में सहायता प्राप्त हो सके व इसके अतिरिक्त समय–समय पर

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मानवाधिकारों से सम्बन्धित हो रहे कार्यक्रमों के बारे में छात्राओं को जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें।

वर्तमान में मानवाधिकार षिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र के नागरिक एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकें और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक, सजग तथा सर्तक हो सके। जिससे भविष्य में मानवाधिकार उल्लंघन को रोका जा सके साथ ही विश्व बन्धुत्व की भावना को साकार रुप प्रदान किया जा सके। जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र तथा समाज का विकास हो। प्रस्तुत शोध कार्य के परिणाम शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिक, मनोविज्ञान तथा दर्शनशास्त्र आदि विषयों में रूचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए उपयोगी रहेंगे ऐसी आशा की जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

बेस्ट जॉन डब्ल्यू0, (1982): "रिसर्च इन एजूकेशन", प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि0, न्यू दिल्ली, 1982।

कटोच,एस0के0 (2012): "हिमांचल प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार का अध्ययन" हिमालयन जनरल ऑफ कान्टेम्पोरेरी रिसर्च आई0 एस0 एस0 एन0 2319 – 3174 वाल्यूम (1), अंक–2, जुलाई –दिसम्बर (2012)।

कुलश्रेष्ठ, एस0 (2003): "अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति और मानवाधिकार" ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट मुरैना, वाल्यूम (3), अंक 4, अक्टूबर–दिसम्बर 2003 पृ0 289।

कौर, एस0 (2006): माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थिओं की मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का अध्ययन" लघु शोध प्रबन्ध एम0 फिल0 हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला, 2006।

गैरिट, एच0 ई0, (199): शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना।

दीक्षित, ए0के0 (2010): "मानवाधिकार और शिक्षा", नई शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, वर्ष (59), अंक–6, जनवरी 2010, पृ0 20–22।

दुबे, आर0 (2014): "मानवाधिकार तथा महिला जागरुकता" ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, मुरैना, वाल्यूम (14), अंक–001, 2014 पृ0 149–152।

पाण्डेय रामशुक्ल, (2008): मानवाधिकार और मूल्य शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

मल्होत्रा,एम0 (2013) : "महिला अधिकार और मानव अधिकार", ज्ञान गंगा प्रकाशक, भानु प्रिंन्टर्स, दिल्ली, पृ0संख्या–136–137।

मिश्रा एम0के0 (2011): मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय, एजूकेषनल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मी नगर दिल्ली।

राणा, डी0 एस0 (2017): "बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन "पीरिओडिक रिसर्च जरनल ,वॉल्यूम –5, अकं–2, आई0 एस0 एस0 एन0 एन0; पी0–2231–05, ई0–2349–9435, मई 2017, पृ0 सं0114–119।

लाल ,आर०बी० (2013): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ, 2013।

शर्मा, आर0ए0 (2013): शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ, 2013

शशिकला, वी0 तथा फ्रांसिस्को, एस0 (2016) : "महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" इन्टरनेशल जरनल ऑफ टीचर एजूकेशन रिसर्च (आई0जे0टी0ई0आर0) वॉल्यूम 5, नं0 3, मार्च–अगस्त 2016, पृ0 45–49, www.ijter.com

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language